[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 4th December, 2013]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2013

संख्या 2/21/2013-आर० II.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में, पैरा 4 में,—

(क) उप-पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिको को अनुज्ञात की जाएगी जो अपने सभी देय/बकाया सम्पत्ति कर (वर्ष 2012-13 तक) 10 दिसम्बर, 2013 तक जमा करा देते हैं।";

(ख) उप पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(iv) 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो उस कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करेंगे। वर्ष 2013-14 हेतु, 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो देय कर 10 दिसम्बर, 2013 तक जमा कराएंगे।"

पी० राघवेन्द्र राव,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

51763—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 4th December, 2013]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

(COMMITTEES)

Notification

The 4th December, 2013

No. 2/21/2013-R-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4,—

(a) for sub-para (ii), the following sub-para shall be substituted, namely :—

"(ii) A one time rebate of 30% shall be allowed for those property owners who clear all their property tax dues/arrears (upto the year 2012-13) by 10th December, 2013;"

(b) for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted, namely :—

"(iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. For the year 2013-14, the rebate of 10% shall be admissible to those assesses who deposit the due tax by 10th December, 2013."

P. RAGHAVENDRA RAO,

Principal Secretary to Government, Haryana,

Urban Local Bodies Department

51763—C.S.—H.G.P., Chd.